

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील सं. 30/2023 (जीसीएमएस नम्बर 2021/71) बीरबल बनाम दुर्गा | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|-------------|---|--|
| 03.09.2024 | <p>पत्रावली पेश हुई। वकील अपील अपीलान्ट एवं रेस्पोंडेंट नम्बर 17 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत अपील को नोटप्रेस में खारिज किये जाने बाबत प्रस्तुत किया। शा.फा.हो। वकील अपीलान्ट ने अपील को नोटप्रेस में खारिज किये जाने के तथ्य को दोहराते हुये कथन किया कि उपरोक्त उनवानी अपील में आज की तारीख पेशी नियत है। हम अपीलान्ट एवं रेस्पोंडेंट के मध्य लोक अदालत की भावना से आपस में राजीनामा हो गया। तथा अपीलान्ट अब प्रकरण में कोई कार्यवाही करना नहीं चाहते है। जिस कारण अपील को खारिज करवाना चाहते है। उक्त अपील को नोट प्रेस मे खारिज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील को नोटप्रेस में खारिज फरमाये जाने की कृपा करें। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील को अब आगे नहीं चलाना चाहते हुए प्रकरण को इसी स्तर पर नोटप्रेस में खारिज किये जाने का कथन करते हुए न्यायालय की आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर किये गये। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रार्थीगणों के पहचान के रूप में सत्यापित किया गया है।</p> <p>हमने अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया जिससे जाहिर होता है कि अपीलार्थी स्वयं ही उक्त अपील में कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में अब इस अपील को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली की आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर अंकित कर दिया गया है इसलिये यह अपील आगे चलाये जाने योग्य नहीं है।</p> <p>अतः अपीलार्थीगण का प्रा. पत्र विद्धो स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीगण स्वयं अपील नोट प्रेस किये जाने के कारण अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश सुनाया गया।</p> | |

(डॉ. प्रवीण कुमार)

अति. सभागीय आयुक्त
अतिरिक्त सभागीय आयुक्त
जयपुर
प्रयपुर